पत्र सं0–9/व0क्षे0पदा0 (आ0)–12/2017 1995 व0 प0राँची, दिनांक 17/07/2020

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार दास,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची।

विषयः– **श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग, पूर्वी वन प्रमंडल (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17(1)(2) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2550 दिनांक–10.07.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी के पत्रांक–633 दिनांक–10.12.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय Websit- "forest.jharkhand.gov.in" पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/7/2020

(विनय कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय :- मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, झारखण्ड, राँची
वन भवन, ब्लॉक- 'सी' डोरण्डा, राँची
Email- 1. ccf-vigilance@gov.in

800

पत्रांक 633/ राँची, दिनांक 10-12-2019/

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखंड सरकार, राँची

विषय :- श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल (सम्प्रति गढ़वा वन प्रक्षेत्र, उत्तरी वन प्रमंडल) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंग :- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का सकंल्प सं0–09/व0क्षे0 पदा0 (आ0)–12/2017–2550 दिनांक 10.07.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है विषयाधीन विभागीय कार्यवाही में अधोहस्ताक्षरी को जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप की जॉच उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया है। जॉचोंपरान्त जॉच प्रतिवेदन अनुलग्नकों सहित अत्र–सह–सलग्न समर्पित किया जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त

विश्वासभाजन,

10/12/19

मुख्य वन संरक्षक,
सर्तकता, झारखण्ड, राँची

अपर मुख्य सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 5210
16 DEC 2019
झारखण्ड, राँची।

Ranchi Vikash Ujjwal.docx

(799)

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प सं०– 09/व०क्षे० पदा०(आ०)–12/2017–2550 दिनांक 10.07.2019 से श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के विरूद्ध की गई विभागीय कार्रवाई से संबंधित जॉच प्रतिवेदन

श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संकल्प सं०– 09/व०क्षे० पदा०(आ०)–12/2017–2550 दिनांक 10.07.2019 **(अनुलग्नक–1)** द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जॉच पदाधिकारी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया हैं।

इस आरोप की जॉच हेतु श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता के पत्रांक 331 दिनांक 23.07.2019 **(अनुलग्नक–2)** द्वारा दिनांक 20.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जॉच हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। इसकी सूचना मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता के पत्रांक 330 दिनांक 23.07.2019 **(अनुलग्नक–3)** द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग को भी देते हुए विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल दिनांक 20.08.2019 को जॉच कार्य में उपस्थित हुए, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अनुपस्थित रहने के कारण जॉच की अगली तिथि 20.09.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की गयी। इस की सूचना मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता के पत्रांक 393 दिनांक 26.08.2019 **(अनुलग्नक–4)** द्वारा श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को सुचित किया गया।

श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल जॉच कार्य में दिनांक 24.09.2019 को उपस्थित हुए। इनकी उपस्थिति में आरोपित बिन्दुओं/मामलों में जॉच की कार्रवाई की गयी। जॉच के क्रम में श्री गुप्ता द्वारा अपने आवेदन दिनांक 24.09.2019 **(अनुलग्नक–5)** द्वारा संबंधित मामले में साक्ष्य हेतु कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी। इनके मांग के आलोक में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वन प्रमंडल को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 447 दिनांक 24.09.2019 **(अनुलग्नक–6)** द्वारा याचित अभिलेख श्री गुप्ता को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जॉच की अगली तिथि दिनांक 16.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की गयी एवं इसकी सूचना श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता तथा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को दिया गया।

श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र दिनांक 16.10.2019 को जॉच कार्य में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि याचित अभिलेख उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुनः श्री गुप्ता वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 16.10.2019 **(अनुलग्नक–7)** द्वारा संबंधित मामले की कतिपय अभिलेख साक्ष्य हेतु मांग किया गया। इसके मांग के आलोक में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 478 दिनांक 21.10.2019 **(अनुलग्नक–8)** द्वारा आचित अभिलेख श्री गुप्ता, वन क्षेत्र पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध

किया गया एवं जॉच की अगली तिथि दिनांक 25.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की गयी एवं श्री गुप्ता तथा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को दिया गया।

श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा दिनांक 25.10.2019 को जॉच कार्य में उपस्थित होकर संबंधित मामले में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य का अभिलेख समर्पित किया गया **(अनुलग्नक–9)**।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग वन प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराया गया अभिलेख, श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रादेशिक प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं अन्य अभिलेखों का जॉच किया गया, जिसका ब्योरा निम्नवत है :–

(1) सिजुआ वन

(क) खदान सं०– 01

आरोप में यह वर्णित है कि मेसर्स शिवमहिमा स्टोन वर्क्स प्रोपराईटर सुनीता देवी पति श्री राम लखन प्रसाद मेहता द्वारा सिजुआ में मौजा खनन हेतु स्वीकृत प्लॉट सं०– 170, 171(P), 172(P) एवं 144(P) रकवा 2.02 एकड के अतिरिक्त प्लॉट सं०– 187 रकवा 1.52 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर अतिक्रमण कर पत्थर निकाला गया एवं अपने खदान का विस्तार किया गया। इतने बड़ें पैमाने पर जंगल झाड़ी भूमि पर गैर–वानिकी कार्य किया गया, लेकिन कोई भी निरोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और न ही क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में उच्च पदाधिकारी को प्रेषित किया गया।

वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि जंगल झाड़ी भूमि से संबंधित अभिलेख प्रक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जंगल झाड़ी भूमि सीमांकित नहीं होती है। जंगल झाड़ी से संबंधित अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहतें है। ऐसी परिस्थिति में जंगल झाड़ी भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु मुझे दोषी ठहराना समझ से परे है एवं लगाया गया आरोप दुर्भावना से ग्रसित है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने प्रक्षेत्र अंतर्गत अधिसूचित वन भूमि की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार है। अतः जंगल झाड़ी भूमि में अवैध खनन हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ख) खदान सं०– 02

आरोप में यह वर्णित है कि सिजुआ वन के प्लॉट सं० 141 के जंगल झाड़ी वन भूमि कुल रकवा 1.70 एकड़ में खदान भट्टाधारी द्वारा अतिक्रमण कर खनन कार्य किया गया पाया गया। क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई भी विरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई और न ही इस संबंध में उच्च पदाधिकारियों को प्रतिवेदित किया गया।

वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा जॉच के क्रम में बताया गया कि उक्त खदान सुजीत मेहता को खनन विभाग से रैयति भूमि में पट्टा मिला है। जंगल झाड़ी भूमि का सीमांकन नहीं होने एवं संबंधित अभिलेख क्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उनपर आरोप लगाना सरासर गलत है एवं साथ ही दुर्भावना से ग्रसित है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने प्रक्षेत्र अंतर्गत अधिसुचित वन भूमि की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार है। अतः जंगल झाड़ी भूमि में अवैध खनन हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ग) पार्किंग स्थल– 01

आरोप में यह वर्णित है कि सिजुआ मौजा के अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के प्लॉट सं० 205 में खदान मालिकों द्वारा कुल 0.25 एकड़ क्षेत्र को साफ एवं समतलीकरण कर वाहनों को खड़ा

करने हेतु पार्किंग स्थल बनाया गया पाया गया। जॉच कि तिथि दिनांक 01.09.2015 को निरीक्षण के समय उक्त वन भूमि पर पत्थर तोड़ने, ड्रील करने से संबंधित खड़े तीन वहनों का निर्माण सं०, टाईप इत्यादी वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं वनपाल को नोट कराते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त वाहनों को वन अधिनियमों के सुसंगत धाराओं के उल्लघंन के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई यथा जप्ती इत्यादी करने हेतु आदेश किया गया। परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा जानबूझ कर अपराधियों को बचाने के नियत से अभियोजन प्रतिवेदन न ही वनपाल से समर्पित करवाया और न ही स्वयं समर्पित किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने 18 दिनों के बाद अपने ज्ञापांक 547 दिनांक 18.09.2015 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को सूचित किया कि पार्किंग स्थल पर खड़े वाहनों का वन अपराध में सम्मिलित रहने के कारण वनपाल द्वारा बरकट्ठा थाना में सनह दर्ज की गई है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि सिजुआ वन के प्लॉट सं०– 205 में अवैध रूप से पार्किंग बनाये जाने के जुर्म में बरकट्ठा थाना में कांड सं० 97/2015 दर्ज किया गया था। घटनास्थल दुर्गम क्षेत्र एवं संसाधनों की घोर कमी होने के कारण अपने स्तर से दो बड़े वाहनों (एक पोकलेन एवं एक ड्रिलिंग मशीन) को जप्त कर अन्यत्र सुरक्षित स्थान में ले जाना संभव नहीं था फलस्वरूप वाहन स्वामियों के विरूद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाना विधिक कार्य ही समीचीन था। उनके द्वारा प्राथमिकी की प्रति समर्पित करते हुए सूचित किया गया है कि उक्त प्राथमिकी से सम्बद्ध वाद सं०– GR-4032/2015 प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त कांड में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं कुर्की जप्ती का आदेश पारित किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा श्री राम लखन मेहता के Bail Petition को अस्वीकृत किया गया।

आरोप पत्र में उपलब्ध साक्ष्य, एवं वनक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समिर्पत स्पष्टीकरण **के अवलोकन** से यह पाया गया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2015 को बरकट्ठा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसका थाना कांड़ संख्या 97/15 है **(अनुलग्नक–10)**। परंतु वाहन को जप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, न ही जप्त करने में हो रही कठीनाईओं के संबंध वन प्रमंडल पदाधिकारी को अवगत कराते हुए कोई सहयता की मांग की गई है।

(घ) पार्किंग स्थल– 02

आरोप में यह वर्णित है कि सिजुआ मौजा के अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के प्लॉट सं०– 205 के 0.85 एकड़ क्षेत्र में वनभूमि जिसे साफ करके समतलीकरन कर कथित पट्टाधारियों द्वारा पार्किंग स्थल पाया गया एवं उक्त स्थल पर पत्थर खदान से निकाला गया ओवरवर्डन भी पाया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो अपराध को रोका गया और न हीं कोई निरोधात्मक कार्रवाई हीं की गई और न ही इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का अभिलेख जॉच के समय उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ड.) खदान सं०– 03

आरोप में यह वर्णित है कि सिजुआ मौजा के अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के प्लॉट सं०– 216, 218, 219, 220 एवं 205 में कुल रकवा 9.35 एकड़ क्षेत्र में वन भूमि को खन्डित कर अवैध उत्खनन पाया गया साथ हीं पंचरूखी तिलैया सिजुआ पथ आने के लिए अपराधियों द्वारा वनभूमि को साफ कर 400 मीटर लम्बाई एवं 20 फीट चौड़ाई में सड़क निर्माण भी किया हुआ पाया गया। परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा किसी भी तरह के निरोधात्मक विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की गई। अपराधीगण पूरे आराम से बिना रोक टोक के बिना वन विभाग के अवरोध के कार्य करते रहे एवं इतने बड़े भूभाग को खन्डित कर पत्थर उत्खनन का कार्य किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सिर्फ खानापूर्ति के लिए वन मुकदमा दायर किया गया है। क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा दायर मुकदमों को देखने से पता चला कि उक्त

उल्लघंन के लिए क्षेत्र पदाधिकारी स्तर से मात्र चार अभियोजन प्रतिवेदन यथा 159/14–15 (G.F.175/14), 158/14–15(G.F.189/14), 153/14–15(G.F.271/14), 156/14–15 (G.F.272/14) समर्पित किया गया है। उक्त अभियोजन प्रतिवेदन में प्लॉट सं०– 216, 217, 2018 में क्रमशः 0.08, 0.04, 0.02 कुल 0.14 एकड़ रकवा में अतिक्रमण दिखलाया गया है। साथ ही उक्त अभियोजन प्रतिवेदन सतही तौर पर लिखते हुए बिना जॉच के वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया है। प्लॉट सं०– 205, 218, 220 में उत्खनन के लिए कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया गया है। इस तरह वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई और वन भूमि पर अतिक्रमण होने दिया गया।

वन क्षेत्र पदाधिकारी ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए सिजुआ वन में अवैध खनन/अवैध अतिक्रमण/अवैध पातन आदि के विरूद्ध कृत कार्रवाई की विवरणी समर्पित की गयी। उक्त विवरणी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं वनपाल द्वारा वनभूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन मामले में वन मुकदमा दर्ज की गई है। परन्तु यह स्पष्ट होता है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सिजुआ वन क्षेत्र में वन भुमि पर अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(च) खदान सं०– 04

आरोप में यह वर्णित है कि मौजा पंचरूखीतिलैया के अधिसूचित वन भूमि के प्लॉट सं०– 28 के 5.32 एकड़ क्षेत्र में वन भूमि को खण्डित कर खनन कार्य किया गया परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा कोई भी निरोधात्मक वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई।

वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा उक्त वनभूमि पर हुए अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु 2013 में पांचरूखीतिलैया मौजा में उत्खनन के संबंध में दायर दो केस यथा 522/13, 552/13, 2014 में एक केस यथा 170/2014 एवं 2015 में एक केस यथा 314/2015 दर्ज किया गया है।

लगाये गये आरोप एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के परिशीलन से स्पष्ट है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा वन वाद दायर किया गया है।

पंचरूखीतिलैया, घाघरी इत्यादि अधिसूचित सीमांकित वनों में सड़क निर्माण किया जाना–

आरोप में यह वर्णित है कि दिनांक 01.09.2015 को वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग, पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अपराधियों द्वारा उक्त वनों के अन्दर वनभूमि को खण्डित कर वनस्पतियों को क्षति पहुँचाते हुए तिलैया पंचरूखी में 1.180 कि०मी० एवं घाघरी के वन में 1.750 कि०मी० एवं 20 फीट चौड़ाई में सड़क निर्माण का कार्य किया गया। इतने बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कराया गया और क्षेत्र पदाधिकारी मूक दर्शक बनकर देखते रह गये। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा किसी भी तरह का निरोधात्मक ठोस वैधानिक कार्रवाई नहीं किया जाना इस बात को दर्शाता है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र पदाधिकारी की जानकारी में एवं मिलीभगत से हुआ। क्षेत्र पदाधिकारी बरही ने अपने ज्ञापांक 517 दिनांक 08.09.2015 द्वारा वनपाल के आवेदन दिनांक 06.09.2015 को प्रमंडलीय कार्यालय भेजा उक्त प्रतिवेदन में वनपाल द्वारा केवल यह वर्णित किया है कि पंचरूखीतिलैया, धरहरा अधिसूचित वन में अपराधियों द्वारा जो सड़क निर्माण किया गया था उसे जगह–जगह कटवाकर वनपाल एवं वनरक्षी द्वारा अवरूद्ध किया गया है।

(795)

वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि पंचरूखीतिलैया एवं धरहरा वनों में अभियुक्त द्वारा बनाये गये नवनिर्मित पथ को जे०सी०बी० की सहायता से छः स्थलों पर काटकर आवागमन को अवरूद्ध करते हुए बरही प्रक्षेत्र कार्यालय के पत्रांक 517 दिनांक 08.09.15 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को सूचित किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न Google Image को Sustain करने वाला साक्ष्य नहीं बताया गया है।

आरोप पत्र एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वन ग्रामों में सड़क निर्माण के दौरान वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के निरीक्षण के उपरान्त वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा उक्त सड़क पर आवागमन अवरूध करने के उद्देशय से सड़क को कटवाकर प्रमंडलीय कार्यालय को सूचित किया गया है।

अवैध पातन–

आरोप में यह वर्णित है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने दिनांक 07.02.2013 को बरकट्ठा वन परिसर अन्तर्गत पंचरूखीतिलैया, सिजुआ आदि वनों के स्थलीय जॉच एवं निरीक्षण में पाया गया कि सिजुआ पंचरूखी मार्ग पर मौजा तिलैया पंचरूखी के प्लॉट संख्या 01 एवं 04 में लगभग 0.50 डिसिमिल वनभूमि में अवस्थित पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया है। पातित वृक्षों में Stump की गिनती में साल वृक्ष के 30 खूँटे पाये गये इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के 10 खूँटे पाये गये।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेख तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 07.02.2013 को वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण उपरांत स्थल पर पाये गये पातित वृक्षों के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण प्रतिवेदन या कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभिलेख में संलग्न Prosecution Report के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर अवैध पातित वृक्षों हेतु वन मुकदमा दायर किया गया है **(अनुलग्नक–11क, 11ख, 11ग, 11घ, 11ड०, 11च, 11छ, 11ज, 11झ)।**

निष्कर्ष –

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरोप संख्या– 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 के बारे में कोई साक्ष्य/अभिलेख नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

आरोप संख्या– 01, 03 एवं 04 मुख्यतः वन भूमि पर अवैध खनन, सड़क निर्माण आदि से संबंधित है। उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख से यह पाया गया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अवैध खनन/अतिक्रमण/अवैध पातन आदि हेतु वन वाद दायर किया गया है, थाने में प्राथमिकि भी दर्ज कराया गया है। परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री गोपाल प्रासाद गुप्ता द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त एवं कारगर नहीं पाया गया। उपरोक्त आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

अनु0–यथोक्त।

10/12/19

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखण्ड, राँची।